


समयं च जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426]
No. 1426]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2013/ज्येष्ठ 29, 1935
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2013/JYAISTHA 29, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

का. आ. 1765(अ).—गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का. आ. 764 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

2. उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

नामतः

क्रम सं.	संघ शासित क्षेत्र	उपयुक्त प्राधिकारी
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी
2	चंडीगढ़	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी
3	दादरा एवं नागर हवेली	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी
4	दमन एवं दीव	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी
5	दिल्ली	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी
6	लक्ष्यद्वीप	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी
7	पुदुचेरी	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक के स्तर या उससे उपर के अधिकारी—अध्यक्ष। 2. महिला संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित महिला 3. संबद्ध राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के विधि विभाग के अधिकारी

[फा. सं. एन. 24026/05/2013-पीएनडीटी]

डॉ. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—यह भारत के राजपत्र, असाधारण [भाग-II-खंड-3 की उप खंड(ii)] में प्रकाशित का. आ. 70 (अ) दिनांक 25-1-1996, का. आ. 30 (अ) दिनांक 7/9-1-1998, का. आ. 600 (अ) दिनांक 16-7-1998, का. आ. 1026 (अ) की प्रविष्टि संख्या 1 दिनांक 12-10-2001, का. आ. 1178 (अ) की प्रविष्टि संख्या 1, दिनांक 28-11-2001 का. आ. 1179 (अ) की प्रविष्टि संख्या 1 दिनांक 28-11-2001, का. आ. 1180 (अ) की प्रविष्टि संख्या 1 (क) दिनांक 28-11-2001 और का. आ. 1183 (अ) की प्रविष्टि संख्या 1 (क) दिनांक 29-11-2001 और का. आ. 764 (अ) दिनांक 4-7-2003 के अतिक्रमण में है।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2013.

S.O. 1765 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. S.O. 764(E), dated 4th July, 2003, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), namely:

2. In the said notification, the following shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Union Territory	Appropriate Authority
1	Andaman and Nicobar Islands	1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. an eminent woman representing women's organization; and 3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:
2	Chandigarh	1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. an eminent woman representing women's organization; and 3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:
3	Dadra and Nagar Haveli	1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. an eminent woman representing women's organization; and 3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:
4	Daman and Diu	1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. an eminent woman representing women's organization; and 3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:
5	Delhi	1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson; 2. an eminent woman representing women's organization; and 3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:

6	Lakshadweep	<ol style="list-style-type: none">1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson;2. an eminent woman representing women’s organization; and3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:
7	Puducherry	<ol style="list-style-type: none">1. an officer of or above the rank of the Joint Director of Health and Family Welfare – Chairperson;2. an eminent woman representing women’s organization; and3. an officer of Law Department of the State or the Union Territory concerned:

[F. No. N. 24026/05/2013-PNDT]

Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Footnote : This is in supersession of S.O. 70(E) dated 25.1.1996, S. O. 30(E) dated 7/9.1.1998, S.O. 600(E) dated 16.7.1998, entry No. I of S.O. 1026(E) dated 12.10.2001, entry No. I of S.O. 1178(E) dated 28.11.2001, entry No. I of S.O. 1179(E) dated 28.11.2001, entry No. I(A) of S.O. 1180(E) dated 28.11.2001, entry No. I(A) of S.O. 1183(E) dated 29.11.2001 and S.O. 764 (E) dated 4th July, 2003 published in the Gazette of India: Extraordinary [Part II-Section 3-Sub-section (ii)]